PLACE

Land Bearing Khasara No.-862, area 1.80 acres and Khasara No.-992, area 3.50 acres total area 5.30 acres situated at village Bhimkhoj (Khallari) Tahsil Mahasamund, District Mahasamund surrounded by,—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **North side** | - | Khallari Pahad |
| 2. | **South side** | - | Agriculture land of Santram |
| 3. | **East side** | - | Khallari Approach Road (PWD Road) |
| 4. | **West side** | - | Agriculture land of Devi Prased Dindayal |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 जून 2007

क्रमांक/एफ 4-1/30/सं./07.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान के रचनात्मक प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु सचिव का एक पद राजपत्रित सेवा श्रेणी-2, वेतनमान 8000-13500 की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह आदेश वित्त विभाग के एकल नस्ती क्रमांक 5 दिनांक 22-3-2005 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत किया गया है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

### छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान का गठन एवं विधान

क्रमांक/एफ 1-6/30/सं./07.—छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक एफ. टी. सी./30/सं./2006, दिनांक 27-7-2006 के द्वारा सिंधी साहित्य संस्थान के गठन का निर्णय लिया गया. सिंधी साहित्य संस्थान के संचालन एवं विनियमन हेतु निम्नांकित प्रावधान/निर्देश मान्य किये जाते हैं.

**सिंधी साहित्य संस्थान का उद्देश्य**

सिंधी साहित्य संस्थान संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में होगी जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष पोषण अनुदान प्राप्त होगा. इस तरह स्थापित सिंधी साहि॰ संस्थान के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सिंधी भाषा एवं साहित्य के संरक्षण एवं विकास के लिये आवश्यक प्रयत्न एवं समस्त उपाय करना हो॰.

**संस्थान का गठन**

'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान' गठित करने के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मनोनयन छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा सिंधी साहित्य एवं संस्कृति के जानकार प्रतिष्ठित 6 व्यक्तियों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा.

संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के सदस्यों की तीन माह में कम से कम एक बैठक होगी जिसमें भविष्य में किए जाने वाले आयोजनों/क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, साथ ही पिछली गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी.

अध्यक्ष के अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सामान्य सभा की बैठक के लिए तत्समय गठित सामान्य सभा के कुल सदस्यों की 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी.

'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य स्थान' की गतिविधियों हेतु सिंधी भाषा एवं साहित्य के तीन विद्वानों को शासन द्वारा सलाहकार के रूप में नामांकित किया जाएगा, जो समय-समय पर संस्थान की गतिविधियों एवं क्रियाकलाप के संबंध में मार्गदर्शन देंगे.

संस्थान के कार्यों के संपादन हेतु प्रतिनियुक्ति पर एक राजपत्रित स्तर के एक अधिकारी की पदस्थापना संस्थान के सचिव के रूप में होगी जिनके वेतन एवं भत्तों के लिए बजट में पृथक से प्रावधान होगा. सचिव की विधिवत् नियुक्ति होने तक संस्थान के अध्यक्ष, संस्थान से संबंधित सभी कार्यों का संचालन करेंगे.

संस्थान के सुचारू रूप से संचालन एवं कार्य यथाशीघ्र करने के लिये अध्यक्ष द्वारा कार्यालय हेतु भवन की व्यवस्था तथा बैंक में संस्थान का पृथक खाता खोलने एवं अन्य आवश्यक प्राथमिक कदम उठाया जाना अपेक्षित होगा. संस्थान का एक पी. डी. एकाउन्ट खोला जाएगा, जिसमें आवंटित अनुदान राशि जमा की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार राशि का आहरण किया जा सकेगा.

**बजट आवंटन**

संस्थान के नियमित संचालन, रख-रखाव, मानदेय तथा आयोजनों के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हेतु संस्कृति विभाग द्वारा, उपलब्ध बजट में से संस्थान को पोषण अनुदान आवंटित दिया जा सकेगा.

**लेखा एवं लेखा संधारण**

1. संस्थान का पृथक से बैंक खाता संधारित होगा.
2. इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी संस्थान के सचिव होंगे.
3. किसी भी वित्तीय तथा आयोजनों से संबंधित कार्य के लिए आहरण समिति की बैठक में निर्णय एवं प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुमति से स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
4. संस्था का आय-व्यय पंजी पृथक रूप से समुचित लेखा तैयार कर रखा जायेगा. प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किया जायेगा. जो कि द्वि-प्रतिष्टि प्रणाली के आधार पर लिखा गया होगा.
5. संस्था द्वारा तैयार किया गया लेखा को प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर संचालनालय को प्रस्तुत किया जायेगा. जिसे विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा.
6. संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय द्वारा भी वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के आय-व्यय का आंतरिक लेखा परीक्षण किया जाएगा. पिछले लेखा परीक्षण के आधार पर तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा.
7. संस्थान द्वारा त्रैमासिक (व्यय तथा आयोजनों से संबंधित) प्रगति प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा.
8. प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष माह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक क्रियाकलापों से संबंधित कैलेण्डर तैयार कर संचालनालय में प्रस्तुत किया जाएगा.
9. छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान द्वारा समेय-समय पर किए जाने वाले आयोजनों एवं व्यय नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग तथा संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा जारी दिशा-निर्देशन का पालन किया जाएगा.

**बजट आंकलन**

'छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान' का वार्षिक व्यय हेतु पोषण अनुदान हेतु बजट आंकलन प्रशासकीय विभाग (संस्कृति) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. संस्थान के प्रारंभिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान को प्रथम वर्ष कार्यालयीन व्यवस्था हेतु उपरोक्त पोषण अनुदान के अतिरिक्त पृथक से राशि 1,50,000/- का आवंटन देय होगा. तदोपरांत अध्यक्ष, सिंधी साहित्य संस्थान द्वारा वार्षिक योजना संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व को भेजी जावेगी. संस्थान को पोषण अनुदान की राशि 2 अथवा 3 किश्तों में देय होगी. उपर्युक्त अनुमानित राशि के अतिरिक्त विशेष आयोजनों हेतु आवश्यकतानुसार संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मांग किये जाने पर अतिरिक्त आवंटन प्रशासकीय विभाग की सहमति से जारी किया जा सकेगा.

Raipur, the 4th June 2007

**Contribution and By Laws of "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan"**

No. F 1-6/30/सं./07.—Vide order No.F.T.C./30@/2006 dated 27-7-2006 of Deptt. of Culture of Govt. of Chhattisgarh it has been decide to contribute Sindhi Sahitya Sansthan following provisions/instruction are accepted to direct and regulate Sindhi Sahitya Sansthan.

**Purpose of Sindhi Sahitya Sansthan**

Sindhi Sahitya Sansthan will be an autonomous institute under the Deptt. of Culture which will receive annual maintenance grant. The purpose of contribution of this way established Sindhi Sahitya Sansthan will be to effort and work on all potions to preserved develop Sindhi language and literature.

**Contribution of Sansthan**

Deptt. of Culture, Govt. of Chhattisgarh will nominate president and Vice president for three years to contribute "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan" Apart of it six reputed previous in executive members will also be nominated by the Govt.

There will be at least a meeting in three months of President, Vice President and executive members in which format will be prepared for future programmer/activities along with evalluation of activities.

Vice President will precide the meetings in the absence of the president and for the meeting of General Body, presence of 50% members of them contributed members of the General Body will complete the quorum.

The Government will nominate three eminent pernorms of Sindhi Language and literature as the advisors who will provide timely guidance in respect of activities and function of the Sansthan.

An officer of level will be appointed on deputation as the secretary of the sansthan to edit the tasks of the sansthan to whose salary and arrears there will be separate provision in the budget. The president will manage direct all the tasks of the Sansthan till the official/legal appointed of the Secretary.

It is expected that the president will arrange a building for the office and will open a separate account of the Sansthan and will initiate others primary essential steps. APD account of the Sansthan will be opened in which amount allocated grant will be deposited and amount will be drawn as per the need Allocation of Budget.

From the available budget the Culture Department will allocate maintenance grant to this Sansthan for Financial management regular directory, maintenance, honorarium and programmes.

**Account and maintanance of Account**

1. There will be a Separate bank account of the Sansthan.
2. The secretary will be the drawing and disbursing officer.
3. Permission will be granted for any task related it's financial and programmes with the permission of President and Vice president after barring. The proposal and decision in the meeting withdrawal committee.
4. There will be separate complete operate account statement to registers income and expenses of the Sansthan. Income-expense statement will be submited. Every year as on 31st March will be written on bi-entry system.
5. The account statement has to be submitted to Directorate after getting it audited by a Chartered Accountant and rescuing the certificate every year will be submitted to the government by the Department.
6. There will be an internal audit of income and expences of the Sansthan by the directorate of Culture and Archaeology at least once in an year. In the branch of Audit subnet and utilization certificate only the release of grants for the next financial year at trench on in parts will be considered.
7. Sansthan will submit trimester progress report (related to expenses and programmes) to the department.
8. A calander for annual activities from 1st April to 31st March will be prepared and submitted to the department every year.
9. The Sindhi Sahitya Sansthan will abide to the direction issue by the Directorate, Culture and Govt. of Chhattisgarh for organization of programmes time to time and for expense control.

**Budget Estimate**

The budget estimate annual expenses of "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan will be proposed by the Administrative Department (Culture). The initial requirements an allocation of Rs. 1,50,000/- will be payable to the Sansthan for office management. After that annual planning will be sent by the president to Directorate Culture and Archaeology . The maintenance grant will be paid to the Sansthan in 2 or 3 installments. Apart of also estimated amount available additional allocation will be considered after approval of Administrative Department (Culture)/ Finance Department on the Demand of the President for special programmes.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**तपेश चन्द्र गुप्ता**, उप-सचिव.

## संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक एफ 1-34/2016/30/सं.—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/30/सं./07, दिनांक 4 जून, 2007 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान एवं इसके विधान में एतद्द्वारा राज्य शासन निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

1. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए विधान में शब्द "छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. ये संशोधन, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

No. F 1-34/2016/30/C.—Chhattisgarh Government, Department of Culture, by it's notification No. F 1-6/30/C./07, Dated 4 June 2007 has constituted "Sindhi Sahitya Sansthan" and made it's By Laws. The state government hereby makes the following amendment in the By Laws, namely;

### AMENDMENT

1. Subject to the modification that in the By Laws for the words "Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan" Wherever they occur the words "Chhattisgarh Sindhi Academy" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from the date of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**द्रोपती जेसवानी**, उप-सचिव.